भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-473

उत्तर देने की तारीख-24/07/2023

क्यूएस विश्व रैंकिंग में भारतीय शिक्षण संस्थान

†**473. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री प्रतापराव जाधवः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित 200 उच्च शिक्षण संस्थानों की क्यूएस विश्व रैंकिंग सूची में केवल दो भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उन कारणों या मानकों की पहचान की है जिनके कारण भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान क्यूएस विश्व रैंकिंग सूची में चिह्नित किये जाने में सक्षम थे;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा होने की संभावना है:
(घ) क्या सरकार ने देशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसे सभी मानकों पर काम करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं जो उन्हें विश्व में पहचान दिला सकें;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रतिक्रिया क्या है; और
(च) क्या सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने संस्थान में विदेशी छात्रों के लिए विशेष सीटें सृजित करने के निर्देश भी दिए हैं और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): जी हाँ। हाल ही में प्रकाशित 200 उच्च शिक्षण संस्थानों की क्यूएस विश्व रैंकिंग सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बाम्बे (आईआईटीबी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

दिल्ली (आईआईटीडी) क्रमशः 149वें और 197वें स्थान पर हैं। क्यूएस रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की उपस्थिति में सुधार लाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों और उद्योग हितधारकों के साथ संयुक्त कार्यशालाओं/संवादों की एक श्रृंखला आयोजित की है। कार्यशालाओं और परामर्शी बैठकों से केंद्रित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और क्यूएस रैंकिंग प्रक्रिया, डेटा प्रस्तुति की समय सीमा, आगामी रैंकिंग पद्धतियों में बदलाव आदि विभिन्न मानदंडों के वेटेज आदि क संबंध में जागरूकता में वृद्धि हुई।

(घ) और (ड.): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) की स्थापना; उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों में एक से अधिक प्रवेश और निकास हेतु दिशानिर्देश; उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने के लिए दिशानिर्देश; इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम पर दिशानिर्देश; भारतीय और विदेशी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग पर विनियम; उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश शामिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) पाठ्यक्रम में संशोधन, परीक्षा सुधार, प्रेरण कार्यक्रम, छात्र इंटर्नशिप, शिक्षक प्रशिक्षण नीति, अनिवार्य प्रत्यायन, हैकथॉन आदि जैसी कई पहलें भी लागू कर रही है।

इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति (पीएमआरएफ), उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए स्टार्ट-अप इंडिया पहल (एसआईआईएचईआई), इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (इम्प्रिंट), विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स), सांस्थानिक नवाचार परिषद (आईआईसी), आइडिया प्रयोगशाला आदि लागू की जा रही हैं।

(च): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को वैश्विक अध्ययन लक्ष्य के रूप में बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर देती है। इसके अनुरूप, शिक्षा मंत्रालय ने विदेशी छात्रों के सीधे प्रवेश (डासा) योजना को अधिसूचित किया है जो किसी भी देश (भारत सहित) में पढ़ने वाले विदेशी नागरिकों (एफएन), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ), प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) और गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) के बच्चों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी शिक्षा (सीएफटीआई) (आईआईटी को छोड़कर) में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में विदेशी नागरिकों (जो भारत के नागरिक नहीं हैं (जन्म से या प्राकृतिक रूप से) और/या ओसीआई/पीआईओ कार्ड धारक हैं) के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की कुल संख्या के 10% की सीमा के साथ अतिरिक्त सीटों का प्रावधान है।

साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके माध्यम से उच्चतर शैक्षणिक संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अपने कुल संस्वीकृत नामांकन के अलावा, अंतरराष्ट्रीय

छात्रों के लिए 25% अतिरिक्त सीटें सृजित कर सकते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए बनाई गई 25% अतिरिक्त सीटों में विनिमय कार्यक्रमों के तहत या/और संस्थानों के मध्य अथवा भारत सरकार एवं अन्य देशों के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल नहीं होंगे।

एआईसीटीई ने नियमित मोड में संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में एनआरआई/ओसीआई/एफएन/खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों को अनुमति देते हुए विदेशी नागरिकों को प्रवेश देने हेतु भी प्रावधान किया है। ऐसे संस्थान जो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के लिए चयनित किए किए गए हैं और अन्य गुणवत्ता वाले संस्थान विदेशी नागरिकों को प्रवेश देने हेतु पात्र हैं।

*****